

संख्या-2225 / सोलह-प्रा0शि0-3-2012

प्रेषक.

आर0 सी0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
उ0प्र0 कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर 2012

विषय: निजी क्षेत्र में स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-90/ई-स0नि0कैम्प/प्रवेश नीति/नि0 क्षेत्र/2012 दिनांक 23-7-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र में स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के संबंध में निम्नवत नीति/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- 1- राजकीय तथा अनुदानित पालीटेक्निकों के साथ-साथ पूर्व की भाँति निजी क्षेत्र के सभी पालीटेक्निकों के सभी पाठ्यक्रमों की शत-प्रतिशत सीटों पर आवश्यकतानुसार 2 या 3 चरणों की काउन्सिलिंग की जायेगी।
- 2- 2 अथवा 3 चरणों की काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश के लिये सर्व-प्रथम उन छात्रों को वरीयता दी जायेगी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में क्वालीफाई कर रैंक प्राप्त किये हों।
- 3- दूसरी वरीयता उन छात्रों को दी जाये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, किन्तु क्वालीफाई न कर पाये हों।

स.नि.३२५

Cabinet note.

कुवेरिशत्र
18/10/12

.....2/-

01
19/10/12
श.नि.३२५
21/10/12

-2-

4- तीसरी वरीयता ऐसे छात्रों को दी जाये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में न तो रैंक ही प्राप्त कर सके हों, और न ही सम्मिलित हुए हों, उन्होंने हाई-स्कूल की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 45 प्रतिशत) उत्तीर्ण की हो।

5- प्रस्तर 2, 3 व 4 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश सापेक्षित योग्यता के अनुसार दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कट-ऑफ-तिथि तक दिया जा सकेगा व विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा ही प्रवेश तिथि में छूट दिया जाना संभव होगा।

6- सभी सम्बद्ध संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि वह प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सभी प्रवेशित छात्रों के संबंध में निर्धारित सूचना निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रोफार्मा के माध्यम से परिषद को प्रेषित करें।

7- प्रवेशित अभ्यर्थियों के परीक्षा फार्म परिषद द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में शासन द्वारा उक्त में छूट प्रदान की जा सकती है।

8- चूंकि दो अथवा तीन चरणों की काउन्सिलिंग के पश्चात निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में रिक्त सीटों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिये जाने पर इन रिक्त सीटों के विरुद्ध आरक्षित/अनारक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के लिये इच्छुक है उसे उपरोक्तानुसार प्रवेश दे दिया जायेगा।

9- आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में सीधे द्वितीय वर्ष में Lateral Entry प्रवेश निजी क्षेत्र के पालीटेक्निकों में ए0आई0सी0टी0ई0/संक्षम स्तर से अनुमोदित मानकों के अनुसार प्रवेश क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक दिया जा सकेगा।

2- उपरोक्त प्रक्रिया के किसी भी बिन्दु का उल्लंघन होने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त निजी स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0सी0 श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

परिष्कार एवं दिनांक तद्वैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर।
- 3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० कानपुर।
- 4- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ।
- 5- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा)।
- 8- समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक निजी क्षेत्र पालीटेक्निक संस्थाएँ (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा)।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस०जी० मिश्र)

उपसचिव।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,

उत्तर प्रदेश

पू०सं० 21920-22155 / ई-एआईसीटीई/अनुमोदन/नईनीति(2011)22\X\कानपुर:दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, विधान भवन, लखनऊ
2. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, निजी क्षेत्र पाली० संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(राकेश वर्मा)

सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।